रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28122021-232215
CG-DL-E-28122021-232215

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 687] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 28, 2021/पौष 7, 1943
No. 687] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 28, 2021/PAUSA 7, 1943

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2021

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की स्थापना और संचालन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021

फा. सं. 14-31/2018 (सीपीपी-II).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 26 की उप-धारा (1) के खंड (च) और (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केंद्र सरकार के अनुमोदन से एतद्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की स्थापना और संचालन) विनियम, 2021 में निम्नलिखित संशोधन करता है [अधिसूचना संख्या 14-31/2018 (सीपीपी-II) दिनांक 28 जुलाई, 2021] (इसके आगे 'मूल विनियम' के रूप में संदर्भित), नामत:-

संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की स्थापना और संचालन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021 कहा जाएगा।

(2) ये भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

मूल विनियमों के विनियम 7 के उप-विनियम 1 के स्थान पर निम्नवत उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

(1) विनियम 1 के उप-विनियम (2) की शर्तों को पूरा करने वाले विश्वविद्यालयों एवं स्वायत्त महाविद्यालयों तथा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान जो कि भारत सरकार द्वारा घोषित हैं और उपाधि प्रदान करने के लिए संसद के अधिनियम द्वारा विशेष रूप से अधिकृत किए गए हैं।

विनियम 7 के उप-विनियम 2 को हटा दिया जाएगा।

विनियम 7 के उप-विनियम 3, 4, 5 और 6 को क्रमशः 2, 3, 4 और 5 के रूप में पढ़ा जाएगा।

टिप्पणी : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4 में फा. सं. 14-31/2018 (सीपीपी-II) के माध्यम से दिनांक 28 जुलाई, 2021 को प्रकाशित किए गए थे।

प्रो. रजनीश जैन, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./551/2021-22]

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2021

University Grants Commission (Establishment and Operation of Academic Bank of Credits in Higher Education) (First Amendment) Regulations, 2021

F. No. 14-31/2018(CPP-II).—In exercise of the powers conferred by clauses (f) and (g) of sub-Section (1) of Section 26 of the University Grants Commission Act, 1956, the University Grants Commission with the approval of the Central Government hereby makes the following amendment in the University Grants Commission (Establishment and Operation of Academic Bank Of Credits in Higher Education) Regulations, 2021 [Notification No. 14-31/2018(CPP-II) dated 28th July, 2021] (hereinafter referred to as 'the Principal Regulations'), namely:

Short title and commencement — (1) These regulations may be called the University Grants Commission (Establishment and Operation of Academic Bank of Credits in Higher Education) (First Amendment) Regulations, 2021.

(2) These shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

In sub regulation 1 of the Regulations 7 of the principal regulations following shall be substituted, namely:

(1) Universities and Autonomous Colleges satisfying sub-regulation (2) of regulation 1 and the Institutions of National Importance as declared by the Government of India and specially empowered by an Act of Parliament to confer or grant degrees.

The sub regulation 2 of regulations 7 shall be omitted.

Sub regulations 3, 4, 5 and 6 of regulation 7 shall be read as 2, 3, 4 and 5 respectively.

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4 vide F. No. 14-31/2018(CPP-II) dated 28th July, 2021.

Prof. RAJNISH JAIN, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./551/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.12.28 23:13:40 +05'30'